

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 59 / सी / क्रय-सुर0 / 2009-10
,2009

दिनांक लखनऊ नवम्बर 05

आदेश

राणा शुगर लि0यूनिट करीमगंज जनपद रामपुर
परिक्षेत्र-मुरादाबाद की पेराई सत्र 2009-10 हेतु प्रस्तुत मॉग पर कार्यालय
ज्ञाप संख्या-1244 / सी / क्रय / ग0आ0 / 2009-10 दिनांक 16.09.2009 में
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक परीक्षणोपरान्त, विज्ञप्ति
संख्या-1245 / सी / क्रय / ग0आ0 / 09-10 दिनांक 16.9.2009 द्वारा उ0प्र0
गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-12 (2) के
अन्तर्गत गन्ने की आवश्यकता का अनुमान 61.65 लाख कुन्तल विज्ञापित
किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि
“ आवश्यकता का निर्धारण उ0प्र0गन्ना(पूर्ति एवं खरीद
विनियमन)अधिनियम-1953 की धारा-15 अन्तर्गत उद्देश्य की पूर्ति हेतु चीनी
मिल क्षेत्रवार हुए गन्ना उत्पादन/उपलब्धता से आच्छादित रहेगा।”

गत वर्ष राणा शुगर लि0यूनिट करीमगंज जनपद रामपुर ने
दिनांक 30.11.2008 को पेराई कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 15.02.2009 को पेराई
सत्र का समापन किया। इस प्रकार चीनी मिल ने 78 कार्य दिवसों में अपने
सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध 47.51 ला0कु0 गन्ना उत्पादन में से
लगभग 22 प्रतिशत झाल करते हुए 10.32 ला0कु0 गन्ने की पेराई की।

कृषकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं गन्ने की
अधिक से अधिक खपत, चीनी उत्पादन में करने हेतु यह अनिवार्य है कि
चीनी मिलें अपने आवंटित क्षेत्र से अधिकतम गन्ने की खरीद/पेराई करें एवं
ऐसी प्रबन्धकीय एवं तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, जिससे गन्ना
उत्पादन एवं उपलब्धता में पर्याप्त सामंजस्य बना रहे।

उत्तर प्रदेश गन्ना(पूर्ति एवं खरीद विनियमन)अधिनियम-1953
की धारा-15 के प्राविधानों के अनुपालन में दिनांक 15.9.2009 को गन्ना
किसान संस्थान लखनऊ में मुरादाबाद परिक्षेत्र की सहकारी गन्ना विकास
समितियों, गन्ना कृषकों एवं चीनी मिलों का पक्ष पेराई सत्र 2009-10 में
गन्ना क्षेत्र आवंटन एवं गन्ना आपूर्ति के संबंध में सुनवाई की गई।

विगत वर्षों में चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में विलम्ब
तथा गन्ना विकास कार्यों में अरुचि के कारण गत वर्षों के सापेक्ष इस वर्ष

गन्ना क्षेत्रफल में गिरावट आई है। इस चीनी मिल की गत वर्षी सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन में 7.59 प्रतिशत कमी होना सम्भावित है।

चीनी मिल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति,यातायात की सुविधा,गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन के भुगतान की स्थिति,गन्ना समितियों/कृषकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव, गत वर्षी ऑक्टि क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल तथा क्षेत्र में गन्ना व्यावर्तन की स्थिति आदि कारकों पर विचार किया गया। चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता को देखते हुए इस चीनी मिल को अधिकतम 51.28 लाख कुन्तल गन्ना उत्पादन का आवंटन किया जा सकता है।

इस चीनी मिल के जनपद रामपुर एवं मुरादाबाद में गन्ने की औसत उपज क्रमशः 507.76 एवं 542.72 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है,जो कि पेराई सत्र 2008-09 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराये गये क्राप कटिंग के परिणामों पर आधारित है तथा सभी संबंधित को इस कार्यालय के पत्र संख्या-950/सी/कय/ग0आ0 दिनांक 12-6-2009 द्वारा संसूचित की गई है,जिसके आधार पर 51.28 लाख कुन्तल गन्ना उत्पादन की प्रतिपूर्ति कुल 9962 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल से होना सम्भावित है।

अतः सम्बन्धित चीनी मिलों,गन्ना समितियों/गन्ना कृषकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पक्ष सुनने, चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन/उपलब्धता एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं, सुधीर एम. बोबडे, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15,उ0प्र0 गन्ना(पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली-1954 के नियम-22 एवं गुजर केन कन्ट्रोल आर्डर-1966 की उप धारा-6 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये समस्त पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुये संलग्न तालिका के खण्ड-1(क) एवं (ख) में अंकित कय केन्द्रों को गन्ना पूर्ति हेतु पेराई सत्र 2009-10 के लिये राणा गुजर लि0यूनिट करीमगंज जनपद रामपुर परिक्षेत्र-मुरादाबाद को सुरक्षित/अभ्यर्पित करता हूँ तथा आवंटी चीनी मिल के अध्यासी को आदेशित करता हूँ कि गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर संबंधित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना(पूर्ति एवं खरीद) आदेश-1954 के उपबन्ध-3 (3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप-स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से करें तथा चीनी मिल चलने के साथ ही समस्त कयकेन्द्रों का संचालन एवं समानुपातिक गन्ना खरीद सुनिश्चित करें।

उक्त चीनी मिल के अध्यासी को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देशित करता हूँ कि गन्ना पेराई सत्र समापन के लिए

अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई का प्रमाण पत्र सम्बन्धित सहकारी विकास गन्ना समितियों, जिला गन्ना अधिकारियों, तथा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त से प्राप्त कर इस कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पेराई सत्र का समापन करें।

उपर्युक्त आदेश पेराई सत्र 2009-10 के लिए जारी किये जा रहे हैं। यह तब तक वैध रहेगें, जब तक की इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किए जाये।

(सुधीर एम.

बोबडे)

गन्ना आयुक्त, उत्तर

प्रदेश

टिप्पणी

1. इस व र्ग में जिन नये क्यकेन्द्रों की स्थापना के आदेश दिये जा रहे हैं, उन क्यकेन्द्रों के स्थान का चयन सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिल एवं गन्ना समितियों की राय से किया जायेगा तथा क्यकेन्द्रों से सम्बद्ध होने वाले ग्रामों की सूची भी बनाकर सर्व सम्बन्धित को सूचित करेगें। जिला गन्ना अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि एक कृ षक के गन्ने की आपूर्ति एक क्यकेन्द्र पर अथवा केन्द्र के एक ही भाग पर सुनिश्चित कराई जाय, एक से अधिक क्यकेन्द्र/केन्द्र के भाग पर आपूर्ति की सुविधा न दी जाय।
2. चीनी मिलों एवं गन्ना समितियों तथा किसानों की ओर से कुछ क्यकेन्द्रों के स्थान परिवर्तन करके उसी राजस्व ग्राम से दूसरे स्थान पर लगाने तथा कुछ क्यकेन्द्रों के ग्रामों को उसी चीनी मिल के पूर्ववर्ती क्यकेन्द्रों से हटाकर दूसरे क्यकेन्द्रों पर सम्बद्ध किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए/होते हैं। ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर जिला

गन्ना अधिकारी, सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना समिति की राय प्राप्त कर अपनी संस्तुति इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित करेंगे ।

3. यदि पेरार्ड सत्र 2009-10 में चीनी मिल द्वारा सन्तो राजनक मात्रा में पेरार्ड न कर पाने के कारण या चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण गन्ने का व्यावर्तन किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है, तो व्यावर्तित गन्ने की ढुलाई व्यय उसी चीनी मिल को देना होगा, जिसे क्यकेन्द्र मूलरूप में आवंटित हुआ था ।
4. गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश-1954 के उपबन्ध-3 (3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप-स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जो चीनी मिलें निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करेंगीं उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
5. चीनी मिलों द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-17 एवं 18 तथा उ0प्र0 शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर-1966 के खण्ड-3 (3) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन का भुगतान सुनिश्चित करें। अन्यथा बाध्य होकर चीनी मिलों को आवंटित गन्ना क्षेत्र को व्यावर्तित करने पर विचार किया जायेगा ।

(सुधीर एम. बोबडे)

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक 59 / सी / क्य-सुर0 / 2009-10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05
,2009

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश गसन, बापू भवन, लखनऊ ।
2. सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को इस आशय से प्रेषित कि वह उ०प्र० गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली-1954 के नियम-23 के अनुसार उक्त आदेशों को प्रकाशित कराने का कर्तव्य करें ।
3. निदेशक, बांट एवं माप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश सर्व सम्बन्धित को अपने स्तर से प्रेषित करने का कर्तव्य करें ।
5. सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त ।
6. सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे क्रयकेन्द्रों के चलने की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को चीनी मिल चलने के 15 दिनों के अन्तर्गत अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायें ।
7. सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्तों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे क्रयकेन्द्रों के चलने की स्थिति पर स्वयं भी निगरानी रखें तथा यथा निर्दिष्ट समय के अन्तर्गत क्रयकेन्द्र न चलाये जाने पर चीनी मिल के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कराते हुए, अनुपालन की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें ।
8. सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियां ।
9. अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, सम्बन्धित चीनी मिलें ।

(डा० कृपाल सिंह)
उप गन्ना आयुक्त (क्रय)
कृते गन्ना आयुक्त, उत्तर
प्रदेश ।

पत्रांक 59 /सी/कय/सुर0/2009-10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009(सलंगनक-1)

राणा शुगर लि0 यूनिट करीमगंज जनपद-रामपुर, परिक्षेत्र-मुरादाबाद।

खण्ड -1(क)

क्र० स०	नाम समिति	नाम कय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे०)	गन्ना उत्पादन (ला०कुं०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
कंमाक 1 से 12 पर अंकित कय केन्द्र मिलगेट पर आबद्ध रहेंगे परन्तु यथावश्यक इन केन्द्रों का संचालन भी किया जायेगा							
1	रामपुर	शाहावाद प्रथम	4	172	0.87	सुरक्षित	
2		शाहावाद द्वितीय	4	268	1.36	सुरक्षित	
3		शाहावाद तृतीय	4	173	0.88	सुरक्षित	
4		शाहावाद चतुर्थ	4	173	0.88	सुरक्षित	
5		खरसौल	6	396	2.01	सुरक्षित	
6		रायपुर / किशनपुर	6	208	1.06	सुरक्षित	
7		सरायइमाम	5	257	1.30	सुरक्षित	
8		तुरखेड़ा	7	189	0.96	सुरक्षित	
9		शाहपुरदेव	8	128	0.65	सुरक्षित	
10		नवावपुरा	8	91	0.46	सुरक्षित	
11		गहनी	10	122	0.62	सुरक्षित	
12		केसरपुर	10	153	0.78	सुरक्षित	
13		चतरपुर	9	164	0.83	सुरक्षित	
14		ढकिया	15	222	1.13	सुरक्षित	
15		रम्पुरा प्रथम	8	380	1.93	सुरक्षित	
16		रम्पुरा द्वितीय	12	384	1.95	सुरक्षित	
17		जाहिदपुर	10	230	1.17	सुरक्षित	
18	बिलारी	रीठ	5	223	1.21	सुरक्षित	
19		गुरसरी	1	107	0.58	सुरक्षित	मिलगेट में
20		छावडा	1	114	0.62	सुरक्षित	
21		डारनी	7	152	0.82	सुरक्षित	

22	कुढफतेहगढ	6	133	0.72	सुरक्षित	
	योग		4439	22.79		

पत्रांक 59 /सी/कय/सुर0/2009-10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009(सलंगनक-1)
राणा शुगर लि0 यूनिट करीमगंज जनपद-रामपुर, परिक्षेत्र-मुरादाबाद।

खण्ड
-1(ख)

क्र० स०	नाम समिति	नाम कय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे०)	गन्ना उत्पादन (ला०कुं०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रामपुर	सैफनी-प्रथम	10	143	0.73	अभ्यर्पित	बन्द चीनी मिल रामपुर से
2		सैफनी-द्वितीय	10	879	4.46	अभ्यर्पित	"
3	बिलारी	ढढोला	9	172	0.93	अभ्यर्पित	चीनी मिल मझावली से
4		रतनपुरबेरनी	8	84	0.46	अभ्यर्पित	"
5	मिलक	गलपुरा महेवा	8	76	0.39	अभ्यर्पित	बन्द चीनी मिल रामपुर से
6		किरा	12	276	1.40	अभ्यर्पित	"
7		बकैनिया	25	331	1.68	अभ्यर्पित	"
8		मनकरा	20	166	0.84	अभ्यर्पित	चीनी मिल मिलक नरायनपुर से
9		मतवाली	14	156	0.79	अभ्यर्पित	"
10		कमचा	13	215	1.09	अभ्यर्पित	चीनी मिल मीरगंज से
11		परम	14	135	0.69	अभ्यर्पित	"
12		अहमदनगरकुन्दनपुर	13	210	1.07	अभ्यर्पित	"
13	बरेली	अलीगंज	40	175	0.88	अभ्यर्पित	"
14		गुरगाँव-प्रथम	21	308	1.56	अभ्यर्पित	"
15		गुरगाँव-द्वितीय	21	88	0.44	अभ्यर्पित	"

16		बरसेर	15	220	1.11	अभ्यर्पित	..
17		सिरौली	15	513	2.59	अभ्यर्पित	..
18	बिलारी	तुरखेड़ा-द्वितीय	10	280	1.52	अभ्यर्पित	बिलारी चीनी मिल से
19		स्योडारा-प्रथम	15	286	1.55	अभ्यर्पित	..
20		स्योडारा-द्वितीय	18	252	1.37	अभ्यर्पित	..
21	मिलक	मिलक-सी	30	150	0.76	अभ्यर्पित	मीरगंज चीनी मिल से
22	रामपुर	आगापुरगेट	30	285	1.44	अभ्यर्पित	मिलक नरायनपुर चीनी मिल से
		योग		5400	27.74		

पत्रांक 59 /सी/कय/सुर0/2009-10 दिनांक लखनऊ नवम्बर 05 ,2009(सलंगनक-1)
राणा शुगर लि0 यूनिट करीमगंज जनपद-रामपुर, परिक्षेत्र-मुरादाबाद।

**खण्ड
-1(ख)**

क्र० स०	नाम समिति	नाम कय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी(कि. मी.)	गन्ना क्षेत्रफल (हे०)	गन्ना उत्पादन (ला०कुं०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यर्पित
1	2	3	4	5	6	7	8
23	बदौयू	मन्नूनगर	25	73	0.44	अभ्यर्पित	रजपुरा चीनी मिल से
24		सीकरी	28	50	0.30	अभ्यर्पित	..
		योग		123	0.74		
		योग अभ्यर्पित		5523	28.48		
		कुल योग		9962	51.28		